फाइल सं0 6/1/एनसीएससी/2013-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांकः 13 **फरवरी**, 2013

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 22-01-2013 को मध्याह्न** 12.00 **बजे** आयोजित 30**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति इसके साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाती है ।

(सी.पी. कत्याल)
भारत सरकार के उप सचिव

1. माननीय अध्यक्ष के अपर निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य(आरपी) के निजी सचिव
4. माननीय सदस्य(एमएस) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य(एलपीके) के निजी सचिव
6. सचिव के निजी सहायक
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर दो दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. उप सचिव(प्रशासन)
2. परामर्शदाता
3. अवर सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. उप निदेशक (एपीसीआर)
5. अनुभाग अधिकारी(प्रशासन)
6. अनुभाग अधिकारी(सामान्य प्रशासन)
7. अनुसंधान अधिकारी(ईएसडीडब्ल्यू)

(सी.पी. कत्याल)
भारत सरकार के उप सचिव

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 22-01-2013 को मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित 30वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 30वीं बैठक दिनांक 22-01-2013 को मध्याह्न 12.00 बजे डॉ. पी.एल. पुनिया, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–।** पर दर्शाई गई है ।

2. विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

2.1 **कार्यसूची संख्या 30.1: दिनांक 3–12–2012 को आयोजित आयोग की 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

निर्णय: आयोग ने दिनांक 3-12-2012 को आयोजित आयोग की 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

2.2 **कार्यसूची संख्या 30.2: आयोग की 29वीं बैठक पर की गई कार्रवाई ।**

निर्णय: की गई कार्रवाई नोट की गई ।

2.3 **कार्यसूची संख्या 30.3: डॉ. रत्तन सिंह अजनाला, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक**, 2012 (**अनुच्छेद 25 का संशोधन**)

निर्णय: टिप्पणी गृह मंत्रालय को भेजी गई ।

2.4 **कार्यसूची संख्या 30.4: नाबालिग अपराधियों और परीक्षणाधीन कैदियों, आजीवन कारावास पाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच ।**

निर्णय: अत्याचार तथा नागरिक अधिकार संरक्षण स्कंध प्रारूप भेजेगा । (**कार्रवाई:एपीसीआर**)

2.5 **कार्यसूची संख्या 30.5: अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) की योजनाओं के पुनरीक्षण के लिए व्यय वित्तीय समिति (ईएफसी) हेतु ज्ञापन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टिप्पणी ।**

निर्णय: डीओएसजेई से रिपोर्ट लेना और इसका विश्लेषण करने के उपरांत प्रस्तुत करना । (**कार्रवाई:ईएसडीडब्ल्यू**)

2.6 **कार्यसूची संख्या 30.6: केरल राज्य की अनुसूचित जाति सूची में (क्रम संख्या 37) मन्नान, पाथियान, पेरुमन्नान, वन्नान, वेला को पेरुवन्नान की समजाति के रूप में शामिल करना ।**

निर्णय: अनुसूचित जातियों को शामिल करने/निकालने के संबंध में इस मामले पर संबंधित राज्यों में लोक सुनवाई होने के उपरांत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना अन्तिम विचार रखेगी । **(कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)**

केरल की अनुसूचित जाति सूची में माल्यान (जिसमें काझीकोड, यानन्द और कसारागोड क्षेत्र शामिल हैं) को वर्तमान प्रविष्टि "माल्यान (जिसमें मालबार जिले सहित क्षेत्र शामिल हैं) के स्थान पर शामिल करने का प्रस्ताव ।

निर्णय: राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तिरुवनन्तपुरम की 27वीं बैठक के अनुसार, टिप्पणी तथा साथ ही केरल में लोक सुनवाई के संबंध में कार्रवाई करना । **(कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)**

2.7 **कार्यसूची संख्या 30.7: केरल की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक**

निर्णय: दिनांक 18-19 फरवरी, 2013 को केरल की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के लिए अनुमोदन दिया गया है । दिनांक 18-2-2013 को प्रातः काल में जातियों को शामिल करने/निकालने के लिए लोक सुनवाई आयोजित की जाएगी । दिनांक 18-2-2013 अपराह्न में केरल की अनुसूचित जाति एसोसिएशनों और संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों के साथ बैठक होगी । तिरुवनन्तपुरम में सम्पूर्ण आयोग द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 19-2-2013 को आयोजित की जाएगी । यह स्थगित की जा चुकी है तथा नई तारीख़ें पुनः नियत की जानी हैं । **(कार्रवाई: समन्वय)**

2.8 **कार्यसूची संख्या 30.8: "संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012" पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की अठाइसवीं रिपोर्ट में सिफारिशों/सुझावों पर कार्रवाई ।**

निर्णय: 29वीं बैठक के निर्णय पर की गई कार्रवाई के क्रम में यह सूचित किया गया था कि संबंधित प्रक्रिया निर्धारित कर सुनवाई की गई और डीओएसजेई से प्राप्त पत्र का उत्तर दिया गया ।

2.9 **बिहार राज्य की जाति को हटाना/जोड़ना ।**

निर्णय: जाति को न हटाने के लिए याचिकाकर्ता से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ । हालांकि, इसकी सुनवाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा की गई है । आयोग को राज्य सरकार और आरजीसीसीआई से रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए और इसके पश्चात् इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक में रखना चाहिए । **(कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)**

2.10 सीएमआईएस और नई वेबसाइट पूर्ण रूप से कार्यान्वित हैं, यह सुनिश्चित करना । (कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ)

कार्रवाई की स्थिति: (1) वेबसाइट लांच करने के लिए तैयार है । इसका माननीय अध्यक्ष, डॉ. पी.एल. पुनिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा उद्घाटन शीघ्र किया जाएगा । (**कार्रवाई: परामर्शदाता**)

(2) सीएमआईएस- इसे पूर्णतः कार्यान्वित किए जाने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

2.11 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद ।

2.11.1: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रत्येक बैठक में निम्नलिखित मदें/मामले विचार-विमर्श के लिए होने चाहिएं :-

i) उप समिति रिपोर्टें प्रस्तुत करना और उन्हें अंतिम रूप दिया जाना;
ii) झूठे जाति प्रमाण-पत्र का मामला और उन पर की गई कार्रवाई;
iii) (क) टोल फ्री नं. और (ख) सीएमआईएस का कार्यान्वयन;
iv) 2/3 न्यायालय कक्ष जैसी सुविधाओं के प्रावधान सहित कार्यालय स्थान का विस्तार;
v) लम्बित विधि/सांविधिक संशोधन; और
vi) वार्षिक रिपोर्ट और पुस्तिका में राज्य समीक्षा कार्यवृत्त का पूरा करना ।

2.11.2 अनुसूचित जाति को लाभों के लिए मुख्य नीतिगत पहल सहित मंत्रालयवार प्रोफाइल को (एससीएसपी क्रियान्वयन की स्थिति सहित) दो पृष्ठों में तैयार किया जाना चाहिए । (उदाहरणार्थ: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मामले में, कोको पम्पों के आबंटन में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एलपीजी बिक्री केन्द्र के लिए प्रावधान । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

2.11.3 इसी प्रकार 2/3 पृष्ठों में राज्यवार प्रोफाइल तैयार किए जाने चाहिएं जिसमें निम्नलिखित शामिल हों;

i) जनसांख्यिकी रूपरेखा सहित एससीएसपी और अन्य महत्वपूर्ण स्थिति तथा शिक्षा के स्तर पर पहला पृष्ठ ।
ii) अत्याचार और आरक्षण के लिए दूसरा पृष्ठ (एक प्रस्तावित प्रारूप संलग्न किया जाता है)। (**अनुबंध–2**)

2.11.4 उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, चंडीगढ़ के क्षेत्राधिकार के अधीन रखना (लखनऊ कार्यालय केवल उत्तर प्रदेश देखेगा) ।

निर्णय: उत्तराखंड राज्य पर चंडीगढ़ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय का क्षेत्राधिकार प्राधिकृत करने के लिए आदेश/कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाएं । (**कार्रवाई: प्रशासन**)

2.11.5 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्टाफ नर्स पद के अनारक्षण के संबंध में मामला माननीय सदस्य श्रीमती लता प्रियाकुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

निर्णय: मामले के पूर्ण तथ्य प्राप्त करके प्रस्तुत करें । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

2.11.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट ।

निर्णय: डीओएसजेई संसद में प्रस्तुत करने के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार कर रहा है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्य आरंभ करना चाहिए ।

2.11.7 टोल फ्री नम्बर के माध्यम से सुने गए फोन का रिकार्ड सभी अनुभाग रखेंगे और इसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रशासन को भेजेंगे । (**कार्रवाई: एपीसीआर/ईएसडीडब्ल्यू/एसएसडब्ल्यू**)

2.11.8 लोकनायक भवन के द्वार संख्या 2 पर रखे गए डिब्बे से सुविधा केन्द्र प्रतिदिन डाक लाएगा । सुविधा केन्द्र से एक व्यक्ति को डाक एकत्रित् करने के लिए सहायता करनी चाहिए । (**कार्रवाई: प्रशासन**)

2.11.9 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों को सरकारी वाहन देने के बजाए उनकी सरकारी यात्रा व्यय के संबंध में 30,000/- रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव आईएफडी, डीओएसजेई को भेजा जाए । स्टाफ कार चालक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अधीन कार्य करेंगे । स्टाफ कारों पर वर्तमान नियमों और महंगे खर्च को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को न्यायसंगत ठहराया जाए । (**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)

2.11.10 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सचिव द्वारा राज्य कार्यालयों के साथ मासिक/त्रैमासिक समीक्षा बैठक (कम से कम 2 माह में एक बार) आयोजित की जानी चाहिए । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालयों के प्रफोर्मेन्स की समीक्षा के लिए सचिव द्वारा सभी राज्य अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक (दो माह में एक बैठक) आयोजित की जा सकती है । जब कभी मुख्यालय में बैठक आयोजित की जाती है तो माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य भी राज्य निदेशकों/अधिकारियों को सम्बोधित कर सकते हैं ।

इस बैठक में अत्याचारों, एससीएसपी और लम्बित मामलों के संबंध में स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के भीतर अनुसूचित जाति के संबंध में विभिन्न राज्यों में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी चर्चा की जानी चाहिए ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार के संबंध में अत्याचार संबंधी मामलों और मुद्दों/महत्वपूर्ण घटनाओं को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय के ध्यान में अवश्य लाना चाहिए । उन्हें महत्वपूर्ण मामलों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी सूचना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को देनी चाहिए । इस पर एक मासिक प्रगति रिपोर्ट भी मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए ।

2.11.11 प्रत्येक जिले में नियत समय निर्धारित निपटान के लिए अत्याचार संबंधी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय होने चाहिएं । एक लोक सेवक द्वारा वांछित कर्त्तव्य के प्रति जानबूझकर की जाने वाली अनदेखी के मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए ।

2.11.12 आयोग की उपलब्धियों और किए गए उत्तम कार्य को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट तथा अन्य नेटवर्किंग वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

2.11.13 माननीय अध्यक्ष, सदस्य श्री राजू परमार और श्री एम. शिवाना ने श्री ए. सत्यनारायण, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा कर्त्तव्य का पालन न किए जाने पर दु:ख प्रकट किया । वह अधिकतर छुट्टी पर रहे हैं । सचिव महोदय को इसे देखना चाहिए । (**कार्रवाई: प्रशासन**)

2.11.14 सभी राज्यों के सामाजिक न्याय के लिए मुख्य सचिवों, गृह सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और प्रधान सचिवों के स्तर पर विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के लिए एक प्रस्ताव की योजना बनाई जाए । (**कार्रवाई: एपीसीआर**)

अन्त में माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 22-1-2013 को मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित 30वीं बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

अधिकारी

1. डॉ. श्याम अग्रवाल, सचिव
2. श्री जगजीत सिंह, अध्यक्ष के अपर निजी सचिव
3. श्रीमती आर. लक्ष्मी, सहायक निदेशक

<u>अनुबंध -2</u>

राज्य सूचना– एक नज़र में

राज्य का नाम

क्षेत्र वर्ग मीटर

जिलों की कुल संख्या

गांव

खंड

थाना

कुल सिंचित क्षेत्र = %

जोत भूमि धारक सामान्य जनसंख्या का कुल %

जोत भूमि धारक अनुसूचित जाति का कुल %

जोत भूमि का औसत क्षेत्र

राज्य जनसंख्या

अनुसूचित जाति जनसंख्या (%)	पुरुष	महिला
कुल साक्षरता दर	पुरुष	महिला
अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर	पुरुष	महिला

गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की कुल संख्या

गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति के परिवारों की कुल संख्या

सामान्य बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर

अनुसूचित जाति के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर

सामान्य में कुल पीएचसी

अनुसूचित जाति आवास/बस्तियों में कुल पीएचसी

कुल पब्लिक लाइब्रेरी

अनुसूचित जाति आवास/बस्तियों में कुल पब्लिक लाइब्रेरी

विभिन्न ग्रेडों में राज्य सरकार में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	समूह	स्वीकृत पद संख्या	के अनुसार अधिकार	अनुसूचित जाति %	रिक्ति
1.	क				
2.	ख				
3.	ग				
4.	घ				
	कुल				
* समूह घ सफाई कर्मचारियों को छोड़कर					

विभिन्न ग्रेडों में पीएसयू के राज्य सरकार में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	समूह	स्वीकृत पद संख्या	के अनुसार अधिकार	अनुसूचित जाति %	रिक्ति
1.	क				
2.	ख				
3.	ग				
4.	घ				
	कुल				
* समूह घ सफाई कर्मचारियों को छोड़कर					

अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अधीन दर्ज अत्याचार के मामले

क्र.सं.	अत्याचार के दर्ज मामलों की कुल संख्या	आरोप पत्र के मामलों की कुल संख्या	बन्द किए गए मामलों की कुल संख्या	जांच हेतु लम्बित मामले	
2010					
2011					
2012					
2013					

अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान

क्र.सं.	अग्रेनीत मामलों की कुल संख्या	प्राप्त किए गए	कुल	निपटाए गए/वापस लिए गए	रिहाई	सजा हुई	लम्बित
2010							
2011							
2012							
2013							

राज्य सतर्कता और मानीटरिंग समिति की पिछली बैठक की तारीख